(

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–......................../   पटना, दिनांक.........................

03/उ०नि०/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013(खण्ड सं०)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना हेतु कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना हेतु **₹50.00 लाख (पचास लाख)** के अनुमानित व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्वेश्य राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विभागीय योजनाओं तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, बिहार स्टार्टअप नीति, 2017 एवं अन्य विभागीय नीतियों/योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। ताकि राज्य में अधिक से अधिक पूँजी निवेश एवं उद्योग धंधा स्थापित हो सके। उद्यमियों को बुकलेट, पुस्तिका, बुलेटिन, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं आदि का बुकलेट, के रूप में प्रकाशित कर उद्यमियों को सेमिनार एवं मेला में वितरित किया जाएगा। Electronic Media इत्यादि के माध्यम से दी जाने वाली सूचनाओं/विज्ञापण पर होने वाली व्यय का वहन उक्त स्वीकृत राशि से की जानी है। साथ ही साथ राज्य तथा राज्य से बाहर समय–समय पर आयोजित होने वाले सेमिनार, मेला–प्रदर्शनी/Expo शो इत्यादि में उपलब्ध कराये गये स्टॉल/स्पेस के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार, सेमिनार, कार्यशाला, Roadshow हेतु होने वाली व्यय का भी भुगतान इस योजना के अंतर्गत उक्त स्वीकृत राशि से किया जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओं को जन–जन तक पहुचाने एवं जागरूक करने के उद्वेश्य से राज्य में प्रत्येक जिला के मुख्य स्थानों पर होडिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। आवश्यक्ता पड़ने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राशि की अधियाचना करने पर उक्त स्वीकृत राशि से व्यय किया जाएगा।

4. राज्य सरकार की एक चालू योजना है।

5. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 001–निदेशन तथा प्रशासन, माँग संख्या–23, उप शीर्ष 0110–विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना, विपत्र कोड 23-2852800010110, विषय शीर्ष 0110.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो इस स्वीकृत राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी फार्म–BTC-46 पर की जायेगी।

7. योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना की होगी।

8. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो उसका अनुश्रवण करेंगे।

क्रमशः पृष्ट–02 पर.....

9. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0, दिनांक–20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–*03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013(खण्ड सं0)* के पृष्ट–05/टि0 पर दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0सं0–354, दिनांक–19.12.2018 है।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी हेतु शिथलिकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................
03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013(खण्ड सं0)

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................
03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013(खण्ड सं0)

प्रतिलिपि.–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4778 / पटना, दिनांक 28/12/18
03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013(खण्ड सं0)

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्करघा रेशम निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive suieet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16-------221